

कार्यालय जिला पदाधिकारी जहानाबाद के तहत रैखिक परियोजना निर्माण  
हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक  
28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या .....1624.....दिनांक .....26-08-2015

प्रमाणित किया जाता है कि जहानाबाद जिले में प्रयोक्ता एजेंसी National Highways Authority of India, PIU-Gaya द्वारा N.H. 83 परियोजना के अन्तर्गत फ्लाइ ओवर व VUP रैखिक परियोजना का निर्माण स्थान जहानाबाद से अरवल पथ पर कुल किलोमीटर 35.150 कि.मी. (Jehanabad to Arbal Road KM 32+812 to 32+872)) में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.179 हे० (0.179 Hectare at 43+938/vehicular Underpass) रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी गया के पत्रांक 3916 दिनांक 07.07.2015 द्वारा FRA 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तद्आलोक में प्रस्ताव के जाँचोपरांत प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका - 1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान :- जहानाबाद

तिथि:- 25/8/2015

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर

एवं मोहर

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of scheduled Tribes, as per the Census- 2001 and the Census- 2011

Place: Jehanabad

Dated: 25/8/2015

District Magistrate  
and Office Seal

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, गया के तहत रैखिक परियोजना  
निर्माण हेतु FRA, 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा  
दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या...2377/15 दिनांक...20.7.15

प्रमाणित किया जाता है कि गया जिले में प्रयोक्ता एजेंसी National Highways Authority of India, Project Implementation Unit, Gaya द्वारा NH-83 परियोजना के अन्तर्गत फ्लाईओवर व VUP का निर्माण रैखिक परियोजना निर्माण स्थान कि०मी० Gaya to Panchanpur road-Km 7+79 to 8+01, Gaya to Sherghati road- Km 7+24 to 7+46 तक कुल किलोमीटर 0.44 में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.65 Hectare at 90+596/Flyover, 0.65 Hectare at 102+010/Flyover 1.3 हे० रकवा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गया के पत्रांक 3917 दि० 07.07.15 द्वारा FRA, 2006 का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तद्आलोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान- गया

तिथि- 20.7.15

he 17/17

समाहर्ता,  
गया ।

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13<sup>th</sup> day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2011 and Census-2011.

Collector  
Gaya